न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 10/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. हयात खां पुत्र अलीमखांजी		1. गिरधारी पुत्र मगना कौम्र. जाट
2. हमीदा पुत्र सुभानखांजी		2. हासम खां पुत्र खेरू मुसलमान
3. रहमान पुत्र सुभान के का0मु0		3. हनीफ पुत्र खेरू मुसलमान
3.1 बरकत पुत्र रहमान		4. हबास पुत्र खेरू मुसलमान निवासीगण खोखा तहसील बागोडा जिला जालोर
3.2 सदाम पुत्र रहमान		5. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार बागोडा
3.3 हनीफा पत्नी रहमान		6. शाखा प्रबन्धक, एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा बागोडा
4. इस्माईल पुत्र सुभान जातिगण मुसलमान निवासीगण खोखा तहसील बागोडा		7. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.8.2018

'अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2012 हयात खां वगैरा बनाम गिरधारी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम खोखा के खसरा नम्बर 89, 90, 128, 129, 130 व 131 में आवागमन हेतु रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम खोखा के खसरा नम्बर 84 व 95 में से 16

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

फिट रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट तलब की, जिसमें तहसीलदार ने अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना बताते हुए बिन्दुवार रिपोर्ट प्रेषित की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा आस पास के खेतों वाले अपीलाण्ट को अपनी भूमियों में से आवागमन नहीं करने देते है। इस हेतु अपीलाण्ट के पास धारा 251ए के तहत रास्ता प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्य अपीलाण्ट के पक्ष में होने के बावजूद भी जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज़ करते हुए उसे रास्ते से महरूम रखा है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमियों में आवागमन का मार्ग सिणधरी जाने वाली रोड़ से खसरा नम्बर 80, 81, 82, 83 व 78 में से निकटतम रास्ता है, जिससे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स आवागमन करते है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रास्ता परिशिष्ठ ब में मार्क ए से बी दर्शित है। यह रास्ता ही आम रास्ता है, जो बागोडा से सिणधरी जाने वाली पक्की डामरीकरण सड़क खसरा नम्बर 60 से मिलाता है, जो आगे खेतों में आवागमन का मुख्य रास्ता है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु मौके पर सभी सह खातेदारान् की सहमति व रंजामबन्दी से आवागमन हेतु उपलब्ध है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र अपनी खातेदारी जोत में सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा है, जो विधि विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में पूर्व में विवाद होने पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा वर्ष 2005 में जिला कलक्टर जालोर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग को रेखांकित किया गया है, उक्त रास्ते के निशानात आज भी मौके पर मौजूद है। अपीलाण्ट के पास अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता उपलब्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज़ किया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात एवं उनके आधार पर पारित जैर अपील निर्णय के अवलोकन से प्रकरण में विधिक बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं ? इस बिन्दु के निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसीलदार बागोड़ा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं परीक्षण आवश्यक है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुँच हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है। अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 89, 90, 128, 129, 130 व 131 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 94 व 95 में से रास्ते का अनुतोष चाहा है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के अनुसार नक्शे में मार्क ए से सी तक निकटतम मार्ग है, जो मौके पर ए से बी तक खुला है। इसके आगे रास्ता बन्द है। उक्त ए0से बी0 मार्ग खसरा नम्बर 84 की आंशिक रूप से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होता हुआ, खसरा नम्बर 374 की उत्तरी माठ में से आंशिक रूप से गुजरता हुआ खसरा नम्बर 96 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 95 तक रास्ता मौजूद होना जाहिर किया। इसके आगे मार्क बी0 से सी0 जो खसरा नम्बर 96 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 89 तक दर्शाया गया है, जो मौके पर उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते को निकटतम मार्ग होना बताया है, इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा यह भी जाहिर किया कि उक्त निकटतम मार्ग से आवागमन नहीं हो सकता है, क्योंकि पक्षकारान में काफि विवाद है, जिससे शांति भंग होने का अंदेशा है। इस रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट की भूमि में आवागम के वैकल्पिक मार्ग का पूर्णतः अभाव है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रेखांकित भी किया गया है, किन्तु इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम, सरल व सुगम एवं निर्विवादित रास्ता उपलब्ध होना अंकित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिस रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर आवागमन हेतु उपलब्ध बताया गया है, उसी रास्ते को तहसीलदार बागोडा द्वारा मौके पर बन्द एवं विवादित बताया है। अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का रास्ता प्राप्त करना खातेदारान् का अधिकार है, जो कानून द्वारा प्रदत्त किया गया है, किन्तु मौके पर जो रास्ता उपलब्ध ही नहीं हो, उसे वैकल्पिक रास्ता बताते हुए रास्ते का अनुतोष प्रदान नहीं किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों एवं रेकर्ड को अनदेखा करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2012 हयात खां वगैरा बनाम गिरधारी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आधारभूत बिन्दु यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग को विवेचित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर